रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276402
CG-DL-E-22092026-276402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 760] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948
No. 760] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2026

आयकर

सा.का.नि. 830(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, **आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की** धारा 395(4)(क) और 397(3)(क) और (ख) के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 है ।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 2026 में, —

(क) नियम 215(1) की सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 'ख' की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) धारा 393(1) के अधीन कटौती—

(क) [सारणी : क्रम संख्या (2)(i)];

(ख) [सारणी : क्रम संख्या (3)(i)];

(ग) [सारणी : क्रम संख्या (6)(ii)]; और

(घ) [सारणी : क्रम संख्या (8)(vi)]

(ii) धारा 393(2) के अधीन कटौती [सारणी : क्रम संख्या 17] किसी संव्यवहार के संबंध में, जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए किसी भी प्रतिफल पर स्रोत पर कर कटौती अपेक्षित होगी ।

(ख) नियम 218(3) में,-

(i) आरंभिक भाग में, "धारा 393(1)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात, "और 393(2)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में, "(धारा 393(1)[सारणी: क्रम संख्या (8)(vi)]);" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर, के पश्चात, "या" कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ङ)किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए कोई प्रतिफल (धारा 393(2) [सारणी: क्रम संख्या 17] में विनिर्दिष्ट प्रकृति की राशि होते हुए) और जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा ऐसा प्रतिफल संदत्त या जमा किया जाता है।";

(ग) नियम 219 में,-

(i) उपनियम (5) में,-

(क) खंड (ग) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (घ) में, "[सारणी क्रम संख्या (8)(vi)]" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "[सारणी क्रम संख्या (8)(vi)]; और" कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (ड.) धारा 393(2) [सारणी क्रम संख्या 17], जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण पर किसी भी प्रतिफल के स्रोत पर कर कटौती अपेाक्षित होगी";

(ii) उप-नियम (8) में , "उप-धारा (1)" शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर "उप-धारा (7)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(घ) परिशिष्ट 3 में,-

(I) प्ररूप संख्या 132 में,-

(i) "[नियम 215(1) *देखें* [सारणी: क्र. सं 2]]" कोष्ठक, शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर "[नियम 215(1) *देखें* [सारणी: क्र.सं 3]]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

(ii) सारणी के, भाग 'क' में,-

(क) क्रम संख्या 7 के सामने, तीसरे स्तंभ में, "□ आभासी डिजिटल परिसंपत्ति का हस्तांतरण" प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

" □ किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को स्थावर संपत्ति का अंतरण";

(ख) क्रम संख्या 10 के सामने, तीसरे स्तंभ में, "(टिप्पण 3 का संदर्भ लें)" कोष्ठक, शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) सारणी के, भाग ख में, उपशीर्षक में, "132" अंकों के स्थान पर "141" अंक रखे जाएंगे;

(iv) टिप्पण 3 और 4 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"3. यदि कटौतीग्राही निवासी है, तो यह जानकारी अनिवार्य होगी ।

4. प्ररूप में कुछ जानकारी, यथासंभव, पहले से ही भरी होगी।

5. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, भरी जाने वाली राशि ₹ में होगी।"

(II) प्ररूप संख्या 141 में,-

(i) शीर्षक में, "धारा 393(1) के अधीन कर कटौती का चालान-सह-ब्यौरे[सारणी क्रम संख्या 2(i), 3(i), 6(ii) और 8(vi)]" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 393(1) [सारणी क्रम संख्या 2(i), 3(i), 6(ii) और 8(vi)] और धारा 393(2) [सारणी क्रम संख्या 17] के अधीन कर कटौती के चालान-सह-ब्यौरे" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ii) भाग क में, क्रम संख्या 6 के सामने, तीसरे स्तम्भ में, "○ आभासी डिजिटल आस्ति का अंतरण", प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

" ○ किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण";

(iii) भाग ख में, अनुसूची घ के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

<table>
<tr><td colspan="5">" अनुसूची ड.: धारा 393(2) [सारणी : क्रम संख्या 17] के अंतर्गत किसी भी अचल संपत्ति के अंतरण पर किसी भी प्रतिफल पर टीडीएस</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">विशिष्टियां</td></tr>
<tr><td>1. (i)</td><td colspan="2">अंतरण की गई/की जाने वाली संपत्ति का पता</td><td colspan="2">(टिप्पण 2 देखें)</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="2">स्थावर संपत्ति का प्रकार
(एक का चयन करें)</td><td colspan="2">○ भूमि (कृषि भूमि से भिन्न)
○ इमारत या इमारत का भाग
○ दोनों</td></tr>
<tr><td rowspan="5">(iii)</td><td colspan="4">सभी क्रेताओं के ब्यौरे</td></tr>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>स्थायी खाता संख्या</td><td>नाम</td><td>क्रेता द्वारा संदत्त/जमा की जाने वाले कुल विक्रय प्रतिफल का अनुपात (%)</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td></td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td></td><td>(टिप्पण 1 देखें)</td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td><td>कुल: 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(iv)</td><td colspan="4">सभी कटौतीग्राही (विक्रेता) के ब्यौरे : (टिप्पण 4 देखें)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">(टिप्पण 6 देखें)</td></tr>
</table>

	क्रम संख्या (क)	स्थायी लेख संख्या , अगर उपलब्ध हो (ख)	नाम (ग)	प्रास्थिति (घ)	संपर्क संख्या (ङ)	ईमेल आईडी (च)	भारत के बाहर उस देश या बताए गए क्षेत्र का पता जहां का कटौतीग्राही निवासी है (छ)	टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र संख्या (ज)	कर पहचान संख्या (झ)	विक्रेता द्वारा प्राप्त /विकलित किए जाने वाले कुल विक्रय प्रतिफल का अनुपात (%) (ञ)
	(i)		*(टिप्पण 1 देखें)*	*(टिप्पण 7 देखें)*			*(टिप्पण 2 देखें)*	*(टिप्पण 8 देखें)*	*(टिप्पण 9 देखें)*	
	(ii)		*(टिप्पण 1 देखें)*	*(टिप्पण 7 देखें)*			*(टिप्पण 2 देखें)*	*(टिप्पण 8 देखें)*	*(टिप्पण 9 देखें)*	
	…									कुल: 100%

2.	करार की तारीख		*(दिन/माह/वर्ष)*
3.	रजिस्ट्रेशन की तारीख *(यदि उपलब्ध हो)*		*(दिन/माह/वर्ष)*
4.	संपत्ति का कुल स्टाम्प ड्यूटी मूल्य		
5.	संपत्ति के संबंध में कुल विक्रय प्रतिफल		
6.	क्या संदाय एकमुश्त या किश्तों में किया जा रहा है?		*(एकमुश्त / किश्तों में)*
	(क) यदि किश्तों में, तो पहली, पश्चातवर्ती या अंतिम किस्त *(एक का चयन करें)*		○ पहली किस्त ○ पश्चातवर्ती किस्त ○ अंतिम किस्त
	(ख) पश्चातवर्ती या आखिरी किस्त के मामले में, कृपया पिछला अभिस्वीकृति संख्या बताएं।		
	(ग) अंतिम किश्त के मामले में, कुल संदत्त प्रतिफल/जमा की गई राशि (इस किश्त के संदाय सहित)		
7.	संव्यवहार के ब्यौरे		
	(i)	कटौतीग्राही (विक्रेता) का स्थायी लेखा संख्या	
	(ii)	कटौतीग्राही (विक्रेता) का नाम	
	(iii)	क्या कटौतीग्राही (विक्रेता) सुसंगत कर वर्ष के लिए धारा 202(1) के अधीन कराधान व्यवस्था से भिन्न कोई विकल्प चुन रहा है? (यदि लागू हो)	हां नहीं
	(iv)	कटौतीग्राही (विक्रेता) के हाथ में पूंजी अभिलाभ का प्रकार	*(धारा 197(1) में यथा निर्दिष्ट दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ/धारा 196 में निर्दिष्ट के सिवाय अल्पावधि पूंजी अभिलाभ)*
	(v)	स्टाम्प शुल्क मूल्य की आनुपातिक राशि	

		पंक्ति (ii) में उल्लिखित कटौतीग्राही के संबंध में	पिछली किश्तों में संदत्त की गई/जमा की गई कुल रकम, यदि कोई हो	
			वर्तमान संव्यवहार में संदत्त /विकलित की गई रकम	
			संदाय/विकलन की तारीख	
			रकम जिस पर कर कटौती दायी है	
			स्रोत पर कर कटौती की दर *(टिप्पण 3 देखें)*	
			अधिनियम की धारा 395(1) के अधीन प्रमाणपत्र संख्या, यदि कटौतीग्राही द्वारा अभिप्राप्त की गई है	
			अधिनियम की धारा 395(2) के अधीन प्रमाणपत्र संख्या, यदि कटौतीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई है	
			स्रोत पर कर कटौती की रकम *(टिप्पण 10 देखें)*	
			कटौती की तारीख	
			यदि लागू हो, तो संबंधित प्ररूप संख्या 145 का विशिष्ट अभिस्वीकृति संख्या	
		(यदि अपेक्षित हो तो पंक्तियों (i) से (v) को दोहराएँ)";		

(iv) टिप्पण 3 में, खंड (ग) में, "निर्धारण अधिकारी" शब्दों के बाद, शब्द, अंक और कोष्ठक "या धारा 395(6) के तहत निर्धारित आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी, जैसा भी मामला हो" सम्मिलित किए जाएंगे;

(v) टिप्पण 6, 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"6. (क) भारत के बाहर उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र का संपर्क संख्या, ईमेल आईडी और पता, जहां का कटौतीग्राही निवासी है, अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाएगा, चाहे अनिवासी का पैन उपलब्ध हो या नहीं।

(ख) अनिवासी के पास पैन उपलब्ध न होने की दशा में, नियम 217 के अनुसार अनुसूची ड. की क्रम संख्या 1(iv) के स्तंभ संख्या (ज) और (झ) में यथा उल्लिखित ब्यौरे यह सुनिश्चित करने के लिए देना अपेक्षित होंगे कि उच्चतर दर पर कर कटौती न की जाए ।

7. अनुसूची ड. के स्तम्भ 1(iv)(घ) में निम्नलिखित में से एक भरें:

क्रम संख्या	प्रास्थिति	विवरण
1	01	घरेलू कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी
2	02	व्यष्टि
3	03	हिंदू अविभक्त कुटुंब
4	04	व्यक्तियों का संगम (AOP) सिवाय, जहाँ AOP के सदस्य के रूप में सिर्फ़ कंपनियाँ हैं
5	05	व्यक्तियों का संगम (AOP) जिसके सदस्य सिर्फ़ कंपनियाँ हैं
6	06	सहकारी समिति
7	07	फर्म
8	08	व्यष्टियों का समूह
9	09	कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
10	10	अन्य

8. टैक्स रेजिडेंसी प्रमाण पत्र भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवासी होने का उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सरकार से प्राप्त प्रमाण पत्र है, यदि उस देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की विधि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का उपबंध करती है।

9. कटौतीग्राही के देश या विनिर्दिष्ट क्षेत्र की कर पहचान संख्या और अगर ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कोई विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर कटौतीग्राही की पहचान उस देश या क्षेत्र की सरकार करती है, जहां पर रहने का वह दावा करता है।

10. स्रोत पर कर कटौती की राशि में अधिभार और, यदि लागू हो, उपकर सम्मिलित होगा।

11. एक से अधिक कटौतिकर्ता होने की दशा में, प्रत्येक कटौतीकर्ता पृथक प्ररूप भरेगा

12. प्ररूप में कुछ जानकारी यथासंभव, पहले से भरी होंगी।

13. जब तक कि अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, राशि ₹ में भरी जाएगी।”

[संख्या 121/2026/एफ. संख्या 370142/29/2026-टीपीएल]

उत्कर्ष गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पण : आयकर नियम, 2026 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 198 (अ), तारीख 20 मार्च, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 822(अ), तारीख 17 सितंबर, 2026 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया है ।